राजभाषा हिंदी का विदेशों में वर्चस्व

प्रस्तुतीकरण

कर्मवीर सिंह

प्रशासनिक अधिकारी

63kvs63@gmail.com

मौसम विज्ञान के महानिदेशक का कार्यालय,

लोधी रोड, नई दिल्ली

राजभाषा से तात्पर्य

- किसी प्रदेश की राज्य सरकार के द्वारा उस राज्य के अंतर्गत प्रशासनिक कार्यों को सम्पन्न करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, उसे राजभाषा कहते हैं। प्रशासनिक दृष्टि से सम्पूर्ण राज्य में सर्वत्र इस भाषा को महत्त्व प्राप्त रहता है।

हिंदी का संवैधानिक स्वरूप

- स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व देश में स्वतंत्रता आंदोलन के साथ-साथ हिंदी को देश की राष्ट्रभाषा बनाये जाने की सर्वाधिक मांग की जाती रही थी।
- संविधान निर्माताओं ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने की मांग को दृष्टिगत रखते हुए संविधान सभा ने 14/9/1949 को हिंदी को संघ की राजभाषा स्वीकार करते हुए राजभाषा हिंदी के संबंध में प्रावधान किए।
- हमारे देश का संविधान 2 वर्ष, 11 माह तथा 18 दिन की अवधि में निर्मित हुआ तथा 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ था।

हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किए जाने का औचित्य

हिंदी को राजभाषा का सम्मान कोई कृपा करके नहीं दिया गया, बल्कि यह उसका अधिकार है। यहाँ अधिक विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है, केवल राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी द्वारा बताए गए निम्नलिखित लक्षणों पर दृष्टि डाल लेना ही पर्याप्त रहेगा, जो उन्होंने एक 'राजभाषा' के लिए बताए थे-

- अमलदारों के लिए वह भाषा सरल होनी चाहिए।
- उस भाषा के द्वारा भारतवर्ष का आपसी धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवहार हो सकना चाहिए।
- यह जरूरी है कि भारतवर्ष के बहुत से लोग उस भाषा को बोलते हों।
- राष्ट्र के लिए वह भाषा आसान होनी चाहिए।
- उस भाषा का विचार करते समय किसी क्षणिक या अल्प स्थाई स्थिति पर जोर नहीं देना चाहिए।

उक्त लक्षणों के कारण ही हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है।

राष्ट्रभाषा तथा राजभाषा में अंतर

- **राष्ट्रभाषा**

  राष्ट्रभाषा का शाब्दिक अर्थ है—समस्त राष्ट्र में प्रयुक्त भाषा अर्थात् आमजन की भाषा (जनभाषा)। जो भाषा समस्त राष्ट्र में जन–जन के विचार–विनिमय का माध्यम हो, वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा, राष्ट्रीय एकता एवं अंतर्राष्ट्रीय संवाद के लिए आवश्यक भी होती है। वैसे तो सभी भाषाएँ राष्ट्रभाषाएँ होती हैं, किन्तु राष्ट्र की जनता जब स्थानीय एवं तात्कालिक हितों व पूर्वाग्रहों से ऊपर उठकर अपने राष्ट्र की कई भाषाओं में से किसी एक भाषा को चुनकर उसे राष्ट्रीय अस्मिता का एक आवश्यक उपादान समझने लगती है तो वही राष्ट्रभाषा है।

- **राजभाषा**

  राजभाषा, किसी राज्य या देश की घोषित भाषा होती है जो कि सभी राजकीय प्रायोजनों में प्रयोग होती है। उदाहरणतः भारत की मुख्य आधिकारिक राजभाषा हिन्दी है। केंद्रीय स्तर पर दूसरी आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। इसके अलावा सरकार ने 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में जगह दी है। जिसमें केन्द्र सरकार या राज्य सरकार अपने जगह के अनुसार किसी भी भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में चुन सकती है। केन्द्र सरकार ने अपने कार्यों के लिए हिन्दी और अंग्रेजी भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में जगह दी है। इसके अलावा अलग अलग राज्यों में स्थानीय भाषा के अनुसार भी अलग अलग आधिकारिक भाषाओं को चुना गया है।

साधारण शब्दों में कहें तो राष्ट्रभाषा वो भाषा होती है जो पूरा देश बोले और समझे एवं राजभाषा वह भाषा होती है जिसमें सरकारी काम काज होता है ।

विदेशों में हिन्दी के प्रचार प्रसार के लिए भारत सरकार के प्रयास

भारत सरकार ने विदेशों में हिन्दी के प्रयोग के लिए अनेक कदम उठाये हैं , जैसे-

- विदेश मंत्रालय में इस प्रयोजन के लिए 2015 में अलग एकक की स्थापना
- नेपाल में 10 से 12 सितंबर 2015 के दौरान दसवीं विश्व हिन्दी संगोष्ठी का आयोजन
- जर्मनी के स्कूलों में हिन्दी एवं अन्य भारतीय भाषाओं को पढ़ाने के लिए अनुबंध
- विदेशों में हिन्दी के प्रोत्साहन के लिए प्रतिवर्ष 10 जनवरी को **विश्व हिंदी दिवस** का आयोजन
- विदेशों में हिंदी भाषा की पाठ्य-सामग्री निशुल्क उपलब्ध कराना
- भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् (ICCR) द्वारा विदेशी विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में 26 हिंदी चेयर की स्थापना करना
- नियमित रूप से तिमाही बैठक द्वारा प्रयासों का आंकलन करना

विदेशों में हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए प्रोत्साहन

- विदेशों में हिंदी में प्रतियोगिताओं का आयोजन एवं प्रतिभागियों को प्रोत्साहित करना
- परिषद् द्वारा विदेशों में हिन्दी प्राध्यापकों की नियुक्ति
- हिन्दी के छात्रों को छात्रवृति प्रदान करना
- वर्ष 2016 में फिजी के साउथ पेसिफ़िक विश्वविद्यालय को 26 लाख रुपये की वित्तीय सहायता
- पुर्तगाल को पोर्तगुईस में हिन्दी का शब्दकोष प्रकाशित करने के लिए 4.5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता
- विदेशों में **गंगाजल** पत्रिका का नियमित रूप से निशुल्क वितरण
- विदेशों के लिए हिन्दी **मॉडल-कोर्स** तैयार करना

विश्व के देशों में हिंदी बोले जाने वालों की जनसंख्या

देश	हिंदी बोलने वाली जनसंख्या
• भारत	42,20,48,642
• नेपाल	80,00,000
• अमेरिका	6,49,000
• मॉरिशस	4,50,170
• फिजी	3,80,000
• दक्षिण अफ्रीका	2,50,292
• सूरीनाम	1,50,000

.....जारी

- यूगांडा 100,000
- ब्रिटेन 45,800
- न्यूजीलैंड 20,000
- जर्मनी 20,000
- ट्रिनिडाड और टोबैगो 16,000
- सिंगापुर 3,000

भारत के प्रधानमंत्रियों द्वारा संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में दिए गए भाषण

- पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 2002 में संयुक्त राष्ट्र में परमाणु मुद्दे पर हिंदी में प्रभावशाली भाषण दिया।

- वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में संयुक्त राष्ट्र को हिंदी में संबोधित किया ।

हिंदी का भविष्य

- हिंदी दुनिया की ताकतवर भाषाओं में शामिल है और इसे बोलने वालों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है।
- उम्मीद है कि वर्ष 2050 तक हिंदी दुनिया की सबसे शक्तिशाली भाषाओं में से एक बन जाएगी।
- अभी इंटरनेट पर 15 से ज्यादा हिंदी सर्च इंजन मौजूद है।
- दुनिया में हर छठा इंसान हिंदी बोलता व समझता है।
- अमेरिका के 45 विश्वविद्यालों सहित दुनिया के 176 विश्वविद्यालों में हिंदी पढ़ाई जाती है।
- विदेशों में 25 से ज्यादा अखबार और मैगजीन रोज हिंदी में निकलते हैं।
- पिछले 8 वर्षों के दौरान दुनिया में हिंदी भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या 50% बढ़ गई है।
- हिंदी केवल भारत की राजभाषा नहीं है, बल्कि फिजी की आधिकारिक भाषा भी है।

निष्कर्ष

कई लोग हमेशा ये दलील लेते हैं कि अंग्रेजी ज्ञान-विज्ञान की भाषा है । जबकि रूस, जर्मनी, जापान जैसे कई देशों में अपनी मातृभाषा को अपनाकर ये साबित कर दिया है कि मातृभाषा में विद्यार्थी अधिक सफल होता है और अपनी मातृभाषा के दम पर ही देश तरक्की करता है।

धन्यवाद